

(M) 20



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 660363



समर बहादुर सिंह अरुण प्रकाश  
वि. सं. अ. सं. व. जि. गाजीपुर  
लक्ष्मण शर्मा  
2-6-2020

## बाबू के०डी०सिंह मेमोरियल ट्रस्ट न्यास विलेख ( Instrument of Trust )

यह न्यास विलेख दिनांक 03.06.2020 ग्राम अकरौव पो० सुरहुरपुर परगना शादियाबाद तहसील-जखनिया जिला -गाजीपुर (उ०प्र०) में समर बहादुर सिंह पुत्र श्री अरुण प्रकाश सिंह निवासी ग्राम अकरौव पो० सुरहुरपुर परगना शादियाबाद तहसील-जखनिया जिला -गाजीपुर (उ०प्र०) द्वारा घोषित किया गया।

जिसे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक के पास रुपया 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) की राशि है। जिसे की वह पुरुषार्थ सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रुप से शिक्षा एवं सामाजिकता के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट बाबू के०डी०सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के नाम जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ायें ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रुप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

समर बहादुर सिंह

Principal

कमशः.....2

Babu K.D. Singh Pharmacy  
Anwar, Shadiyabad-Ghaziabad



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

17 JUN 2020

भारत INDIA

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR



विप्रेक सिंह  
मुकु-धाम सिंह  
जब-द्वारा पिता-गजीपुर

गजेंद्र प्रसाद  
3-6-2020



अनुप कुमार सिंह  
गजेंद्र प्रसाद

गजीपुर  
गजेंद्र प्रसाद  
3-6-2020

FK 660364

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम अकरौंव पो0 सुरहुरपुर परगना शादियाबाद तहसील-जखनियां जिला -गाजीपुर (उ0प्र0 ) रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम अकरौंव पो0 सुरहुरपुर परगना शादियाबाद तहसील-जखनियां जिला -गाजीपुर (उ0प्र0 ) अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा । क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है ।

**बाबू के0डी0सिंह मैमोरियल ट्रस्ट**

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली -

ट्रस्ट के उद्देश्य - ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय पी0जी0 कालेज, बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0टी0सी0, नर्सिंग, पैरा मेडिकल, योगा प्रशिक्षण, सी0बी0एस0ई0, आई.सी.एस. सी.आई.एस सी.एन.सी.ई.आर.टी द्वारा संचालित विद्यालय व महाविद्यालय की व्यवस्था एवं संचालन व पुस्तकालयों, वाचनालयों प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों, साक्षरता व पर्यावरण, जल संसाधन, योग प्रशिक्षण की स्थापना करना, नामकरण विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थाओं शासन आदि से उन मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित स्वीकृत करा सकता

अमर ठाकुर सिंह

Principal कमश:.....3

K.D. Singh Pharmacy  
Akraw, Shadiyabad-Ghaziपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FK 660365

- 03 -

2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना ।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना ।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना ।
5. संस्था द्वारा असहाय गायों की सेवा करना गाशाला की गायों के दूध एवं गोमूत्र द्वारा औषधियों का उत्पादन एवं विपणन एवं उसके माध्यम से वृद्ध, रोगी, गरीब, अनाथ गायों की सेवा करना एवं गोबद्ध के खिलाफ प्रचार प्रसार एवं आन्दोलन करना एवं निरीह गायों की रक्षा एवं उनकी सेवा सुश्रुषा करना । उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना ।
6. महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना ।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कर्पाट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरु युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना
10. आईआईटी, आईआईटीआई, फार्मसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन, टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजीथेरेपी, योगा आदि पैरामेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना ।
11. समाज के लोगों के लिए हॉस्पिटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना ।
12. पुस्तकालय वाचनालय पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।
13. दिव्यांगो, अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजनकी व्यवस्था व पुनर्वास की स्थापना एवं संचालन करना ।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यक वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना ।

कमरा:.....4

समर बहादुर सिंह



Principal  
Babu K.D. Singh Pharmacy  
Akray, Shastriyabad-Ghazipur

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

रु.50

भारत

26 MAY 2020

गाजीपुर

INDIA

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 231218

- 4 -

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना ।
16. पुस्तक, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना ।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, वैवाहिक कार्यक्रमों व सम्मेलन प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि संचालन कर सकना ।
18. महिलाओं के उत्थान हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन कोर्स, व अन्य प्रोफेशनल कोर्स, स्कैन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा व्यवस्था एवं संचालन करना ।
19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना ।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार-प्रसार कर सकना ।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना ।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका स्थापना, प्रचार, प्रसार कर सकना ।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।
25. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना ।
26. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं समाचार-पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना ।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मुल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।

समर - बहादुर सिंह



Principal  
Babu K.D. Singh Pharmacy  
Akraw, Shadiyabod-Ghaziapur

कमरा.....5

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 231219

- 05 -


28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संबंधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना ।
29. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना ।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना व उन पर अपना ट्रस्ट द्वारा संचालन व स्थापना करना व राज्य व अन्य द्वारा दान अनुदान की व्यवस्था करना ।
31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना ।
33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा । ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं / वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडन्जा तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना ।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा ।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनीक का निर्माण करना ।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना । फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना
40. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना ।



रामरं केशव सिंह

कमरा.....6  
Rishi K D Singh Pharmacy  
Akray, Shadryabad-Ghazipur

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 231220

- 06 -

41. दलित पिछड़ों अल्प संख्यको का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना ।
42. धरना , प्रदर्शन कार्यक्रम , गोष्ठी , सम्मेलन , सेमीनार , वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन -प्रशासन तक पहुंचाना ।
43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना ।
44. संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रिया-कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्य प्रणाली को विकसित करना ।
45. ट्रस्ट राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा संस्था व कर्मचारी सेवा नियमावली के परिप्रेक्ष्य में जो आदेश निर्गत किये जायेंगे , संस्था उनका पालन करेगी ।
46. ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं कि जायेगी और पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन नई दिल्ली / कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतःसमाप्त हो जायेगा ।
47. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा, राज्य सरकार द्वारा अनु०जाति/अनु०जनजाति के छात्रों हेतु राज्य सरकार व केन्द्र द्वारा शुल्क नियमावली में छूट व देय का पालन होगा ।
48. पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन स्थलों पर विश्रामालय , भोजनालय इत्यादि की स्थापना कर उसका संचालन करना तथा आवागमन हेतु वाहन आदि व अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना ।
49. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण को सुधारने के लिए प्रयास करना उसके सुधार हेतु कार्यक्रम आयोजित करना व जनचेतना को जागृति करना ।
50. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना इसका विपणन व मार्केटिंग करना तथा लोगों को उससे लाभ हेतु प्रचार प्रसार करना ।
51. धार्मिक स्थलों का निर्माण जिर्णोद्धार विश्रामालय , जलपान , गृह, शौचालय व स्नानागार, मैरिज हाल का निर्माण करना उसका प्रबन्ध करना और उसका संचालन करना । गरीब व असहाय लोगों को शादी करवाना व उससे सम्बन्धित सरकारी / गैर सरकारी सहयोग प्राप्त करना ।
52. संवैधानिक मूल कर्तव्यों के प्रति जन जागरुकता कार्यक्रम करना ।

अभर ०८६२ सिंह

कमशः.....7



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु.50

वरिष्ठ कोषाधिकारी  
26 MAY 2020  
गाजीपुर

FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 231221

-07-


53. सेक्यूरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना तथा उनको रोजगार उपलब्ध कराना ।
54. ट्रस्ट का उद्देश्य है कि कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले बीजों का उत्पादन करना तथा अनुसंधानिकत नई प्रजातियों के बीजों का क्रय विक्रय कर कृषकों का लाभान्वित करना ।
55. प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, विभाग में गोष्ठी करना, सांस्कृतिक विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त कर नाटक करना, कल्चर कार्यक्रम करना भ्रूण हत्या और एड्स के रोकथाम हेतु लोगों की विभिन्न प्रकार से जागरूक करना, कीड़ा के क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर छोटी इकाई तैयार करना तथा बढ़ावा देना, एन0 एस0 एस0 व एन0 सी0 सी0 में माध्यम से छात्र/छात्राओं को जागरूक करना ।
56. ग्रामीण अंचलों में लोक कलाओं, लोक संगीत लोक नृत्य एवं अनेक प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करना, देश प्रेम राष्ट्रीय एकता, मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र शिविर का आयोजन करना, मद्य निषेध, शिविर करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो उसे दान उपहार अथवा अंशदान अथवा सम्पत्ति के रूप में प्राप्त करना ।
57. ट्रस्ट का उद्देश्य छात्र / छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा में सफल बनाने हेतु अनेक अध्ययन, अध्यापन हेतु आवास छात्रावास आदि की व्यवस्था करना तथा पुस्तकीय साहित्य समाचार पत्रों पाठ्यों आदि का प्रकाशन, मुद्रण वितरण पत्राचार द्वारा शिक्षण कार्य छात्रवृत्ति व स्मृति चिन्ह व वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रतियोगिता का आयोजन तथा कला विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम टेक्नोलोजी को पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से व गोष्ठियों के माध्यम से आम नागरिक तक पहुंचाना ।
58. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसायटीज अन्य ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज व अन्य शिक्षण संस्थाए तथा सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं को अपने ट्रस्ट के अधीन कर व समायोजित कर उनका संचालन व्यवस्था व प्रबन्धन करना ।
59. ट्रस्ट का उद्देश्य जल संसाधनों का जीर्णोद्धार करना, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करना व कराना जल संचय कर विशेष क्षेत्र का चयन कर भूमि संरक्षण कार्य द्वारा सघन कृषि हेतु उपयोगी बनाना, बंजर भूमि व उसर भूमि का सुधार करना तथा आकृषीय भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास करना ।
60. देश व समाज में यौन शोषण, भ्रूण हत्या, तलाक, नशा उल्मूलन, महिला बलात्कार, बाल दासता तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करना । नशा से मुक्ति हेतु जन जागरण जागरूकता सम्बन्धित कार्य करना, मद्य निषेध हास्पिटल का निर्माण व संचालन करना ।

कमशः.....8

अमर बहादुर सिंह



# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 231222

- 08 -

## प्रारम्भिक उपबन्ध -

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से समर बहादुर सिंह जो कि न्यास कर्ता एवं न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष समर बहादुर सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो समर बहादुर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी / मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष रहेंगे।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं।
4. किसी ट्रस्टी के ट्रस्ट से पद मुक्त करने की शर्तें निम्न हैं, मृत्यु, ट्रस्ट के विरुद्ध कार्यों में संलिप्त पाये जाने पर किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्षों से ज्यादा सजा दिये जाने या, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, व्यभिचारी होने पर, त्याग-पत्र देने पर पद मुक्ति/निष्काषित किया जा सकता है।

## मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी / हस्तान्तरण

1. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का पद किसी अन्य व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे तो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष के प्रदत्त किया गया।

कमश:.....09

समर बहादुर सिंह





# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

वरिष्ठ क्रीषाधिकारी

26 MAY 2020

गाजीपुर

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

BZ 231223

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-09-

4. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पद पर ट्रस्टी के उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष रहेंगे। तब नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष रहेंगे को 6 माह के भीतर 3/4 बहुमत प्राप्त करना होगा। अन्यथा की स्थिति में किसी भी ट्रस्टी 3/4 बहुमत के आधार पर मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनाया जायेगा। बहुमत के आधार पर नये ट्रस्टी के चयन होने तक ट्रस्टी के उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बने रहेंगे।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गई वसीयत /इच्छा /व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया ,कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

#### (4) बोर्ड आफ ट्रस्टीज -

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है,जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होंगे
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी बिना किसी को कोई कारण बताएं ट्रस्टीयों की राय /बहुमत से ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

कमश...10

अमर बहादुर सिंह



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

भारत

वरिष्ठ कोषाधिकारी

26 MAY 2020

गाजीपुर

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 231224

- 10 -

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।
- (5) **अध्यक्ष /मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं :-**
  1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
  2. यह कि ट्रस्टी /अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय /भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (6) **कार्य क्षेत्र :-**

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।
- (7) **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-**


मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्य-कलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने विशेषाधिकार के तहत 5 ट्रस्टियों का चयन अपने सम्पूर्ण जीवन काल में बिना आवेदन शुल्क या प्रस्ताव पर उनकी सहमति पर कर सकता है।
- (8) **सचिव/उप सचिवों की नियुक्ति :-**
  1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्या को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

कमरा.....11

संभर ठाकुर सिंह



# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 231225

-11-

2. यह कि सचिव/उप सचिवों के वेतन, भत्ते सुविधाएं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/आवश्यकता अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

#### (9) उपाध्यक्ष की नियुक्ति :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्य को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक, प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

#### (10) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे :-
- (क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
  - (ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए उपाध्यक्ष सचिव उप सचिवों की नियुक्ति करना।
  - (ग) इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकता जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

कमश:.....12

रामर ०८५२ सिंह



# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 231226

-12-

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य—

अध्यक्ष / ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता ।

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं :-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशंसनात्मक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभाग केन्द्रों/ संस्थाओं / उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संख्या को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णयक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त हाने की दशा में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजनों को कर सकना।

(13) उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उनके अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उनको लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

कमश.....13

अमर बहादुर सिंह



# भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

रु. 50

भारत

वैरिष्ठा का अधिकारी

26 MAY 2020

गाजीपुर

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY  
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 231227

-13-

(14) बैंक एकाउन्ट :-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है। अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान / केन्द्र / कार्यक्रम इकाई/कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(15) विधिक कार्यवाही :-

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई भी कार्यवाही की जाती है। या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव/अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या अन्य किसी को अधिकृत कर सकता है।

(16) सम्पत्ति सम्बन्धी :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह सभी अधिकृत अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट चल की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है। रهن रख सकता है। किराये पर दे सकता है। ले सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट सम्मान पुरस्कार, स्मृत चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

कमरा 14

Principal

Babu K. D. Singh Pharmacy  
Araw, Ghazipur

संभर महानगर सिंह

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 231228

- 14 -

7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रतीभूत भाड़ा कय अनुज्ञप्ति बन्धक भारती गिरवी, विमाजित आदि कर सकता है/ले सकता है दे सकता है।
  8. ट्रस्ट को संस्था आगे बढ़ाने हेतु 12ए, 80जी, 10/23 की संस्तुति प्राप्त कर संचालन करना।
- (17) प्रतिबन्धों की बाध्यता/प्रतिबन्ध
- क- संस्था/विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
  - ख- संस्था/विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
  - ग- संस्था/विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
  - घ- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली / कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इकजांमिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
  - ङ- संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम से वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
  - च- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उOमाO विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - छ- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
  - ज- संस्था/विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा। यदि हों तो कृपया प्रबन्धधिकरणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि संस्था/विद्यालय का विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम एक से आठ तक स्वीकार है।
  - झ- आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

अमर ठाकुर सिंह



कमर 15

Principal

Babu K.D. Singh Pharmacy  
Araw, Ghadiyaood-Ghaziपुर

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 231229

- 15 -

(18) विशेष :-

- (क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/ईकाइ/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट बाबू के०डी०सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम या उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।
- (ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधानों/को शिथिल कर सकते हैं। तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। (इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- (ग) बाबू के०डी०सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित बाबू के०डी०सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है। कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु ट्रस्ट का स्वरूप बनाकर जो अप्रलिखित है ट्रस्ट के संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

कमलेश 18

Principal

Sabu K.D. Singh Pharmacy  
Anand, Ghazipur-Ghazipur

रामरंजन सिंह



# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

वरिष्ठ कोषाधिकारी

01 JAN 2020

TWENTY  
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-16-

39AA 399753

क्र.सं०	नाम/पिता का नाम	पता	पद	पेशा
1	समर बहादुर सिंह पुत्र श्री अरुण प्रकाश सिंह	गा० अकरोँव पो० सुरहुरपुर, गाजीपुर	मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष/प्रबन्धक	समाजसेवा
2	श्रीमती आशा सिंह पत्नी अरुण प्रकाश सिंह	गा० अकरोँव पो० सुरहुरपुर, गाजीपुर	उपअध्यक्ष	समाजसेवी
3	अरुण प्रकाश सिंह पुत्र श्री कपिल देव सिंह	गा० अकरोँव पो० सुरहुरपुर, गाजीपुर	सदस्य	समाजसेवी
4	मनोज कुमार सिंह पुत्र रवि प्रताप सिंह	गा० ब पो० कटघरा गाजीपुर	सदस्य	समाजसेवा
5	श्रीमती अनीता सिंह पत्नी श्री समर बहादुर सिंह	गा० अकरोँव पो० सुरहुरपुर, गाजीपुर	सदस्य	समाजसेवी

कमरा.....17

समर बहादुर सिंह



*(Signature)*  
Dobu K.D. Singh Pharmacy  
Akraw, Bahadurpur-Ghaziabad



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs 20

द्वारिष्ठ कोषाधिकार

01 JAN 2020

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 399754

- 17 -

रमेश कुमार शर्मा  
टंकणकर्ता  
राकेश कुमार शर्मा

साक्षीगण : मो० 726395946  
नाम : विनोद सिंह एवं पुत्र सुलभुंयामि.ए.  
पता : गा० + पी० बरहट जिला गाजीपुर  
मो० 9140046592  
नाम : अनुप कुमार सिंह एवं किराण नारायण  
पता : गा० + पी० - बरहट जिला गाजीपुर

अमर ठापर सिंह  
7628292828  
(संस्थापक/अध्यक्ष/ट्रस्टी)

बाबू के०डी०सिंह मेमोरियल ट्रस्ट  
ग्राम अकरोव पो० सुरहरपुर परगना शादियाबाद  
तहसील-जखनिया जिला -गाजीपुर (उ०प्र०)

दिनांक - 3-7-2020

मसविदाकर्ता  
रमेश कुमार शर्मा

Dr. R. Singh  
R. Singh Pharmacy  
Ratan, Shadiyabad-Ghaziपुर